# कार्यालय नगर पंचायत छतारी जनपद–बुलन्दशहर

पत्रांक 826 / न0पं0छ0 / 2017–18 / ठेकेजात        दिनाँक 26.03.2018

## नीलामी के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत छतारी में निम्न विवरण के अनुसार ठेकों की सार्वजनिक नीलामी (खुली बोली) निम्न तालिका के अनुसार नगर पंचायत छतारी के कार्यालय में की जायेगी। अन्य शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवय में आकर नगर पंचायत छतारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

| क0 सं0 | ठेके का नाम | अवधि | नीलामी की तिथि | समय | ठेके की धनराशि | अग्रिम धरोहर धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पशु बाजार (पैंठ) | वर्ष 2018–19 | 03.04.2018 | अपराहन 12.00 बजे | 415804/– | 104000/– |
| 2 | वाहन स्टैण्ड (अड्डा) शुल्क वसूली। | वर्ष 2018–19 | 03.04.2018 | अपराहन 12.00 बजे | 430445/– | 107600/– |
| 3 | ठेका मुर्दा मवेशी। | वर्ष 2018–19 | 03.04.2018 | अपराहन 12.00 बजे | 18359/– | 4600/– |
| 4 | साप्ताहिक बाजार (प्रत्येक शुकवार) | वर्ष 2018–19 | 03.04.2018 | अपराहन 12.00 बजे | 50000/– | 12500/– |

उक्त सभी ठेको पर न0प0 छतारी की उपविधियों में दिये गये नियम/शर्ते लागू होगी। उक्त नीलामी बोली बोलने से पूर्व ठेकों से सम्बन्धित उक्त सभी उपविधियों/शर्तो का अवलोकन कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में नगर पंचायत छतारी में देखी जा सकती है। शर्ते नीलामी कार्यवाही से पूर्व पढकर सुना दी जायेगी। ठेकों में बोलीदाता को बोली से पूर्व जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड व ग्रहकर–जलमूल्य की जमा रसीद प्रस्तुत करनी होगी। ठेकों से सम्बन्धित बकायेदार को बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। नीलामी से पूर्व ठेकेदारों को निर्धारित 500/– (पांच सौ रूपये) पंजीकरण शुल्क जमा करना करना आवश्यक होगा। यदि सार्वजनिक नीलामी में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो नीलामी को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/बोर्ड में निहित होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत छतारी
बुलन्दशहर।

अध्यक्ष
नगर पंचायत छतारी
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 826(3)/न0पं0छ0/2017–18        तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) बुलन्दशहर को सूचनार्थ।
2. उपजिलाधिकारी शिकारपुर को सूचनार्थ।
3. कार्यालय एन0आई0सी0 को इस आशय से प्रेषित कि अपनी वेबसाइट www.Bulandshahr.nic.in में अपलोड करें।
4. हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित कर पॉच प्रति बिल सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित कर पॉच प्रति बिल सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा।

26.03.18

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत छतारी
बुलन्दशहर।

अध्यक्ष
नगर पंचायत छतारी
बुलन्दशहर।

Scanned by CamScanner